Officer:

4th Amendment rights.

I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or hand you any documents based on my 5th Amendment rights under the United States Constitution.

I do not give you permission to enter my home based on my 4th Amendment rights under the United States Constitution unless you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate

with my name on it that you slide under the door. I do not give you permission to search any of my belongings based on my

I choose to exercise my constitutional rights.

These cards are available to citizens and noncitizens.

छापे कि सूचना दे. बुद का बचाद करे:- आप स्वानिक सामृतायिक संस्थाओं के संपर्क में रहें और आपके निर्वासन के विताप कानुनि सासे कि चर्चा करें और कानुनि महत ले. युनायदेड वी द्विम:- के हायरेक्ट टेलिफोन लाईन – १-८४४-३६३-१४२३ को फोन लगायें और जो हुआ वह बतायें. हमारा वेबसाईट – www.niimmigrantjustice.orgto. में लॉग इन कर के छापें कि जानकारी दें और आप्रवासियों के हुक्की कि संस्था कि जानकारी ले.



इमीग्रेशनके सामने के दौरान क्या करे ?

उरवाजे के निचे से वॉरंट देखने मांगे :- अगर आपक AGENT उनके पास वॉरंट होनी कि बात बताते हैं. तो दरवाजा खोले बिना उन्हें दरवाजे के

आप दरवाजा ना खोले - ICE आप के घर में खोज वॉरंट के बगैर दाखील नहि हो सकते.

जान पुरवाजा ना बाल - 100 जान के वर न बाज वास्त के वनर पुरवाल नाह हा सकत.

निये से वो वॉरट आपके पास आगे बढ़ाने के लिये कहें. वॉरट कि समीक्षा - व उट के ऊपर का नाम और पता आपका हुया आपसे पहले रहने वाले का हुयह जाय लोनेCE वॉरट ये अदालित वॉरट

जैसा नहि होता है, छापे के ग्रीरान कई बार AGENT न्यायालपीन वॉस्ट होने कि बात करते है जब कि उनके पास ICE वॉस्ट होता है. जो हुआ उसका इस्तावेज बनाये :- ICE AGENT के नाम और उनके बंच नंबर पुछे, उन्हें तिस्से और छापे के ग्रीरान हो रहि गतीविधीयोंकी तस्वीर लें.

अगर ICE AGENT आपको बिच रास्ते या सार्वजनिक स्थल पे मिलते है तो क्या करे :

क्या मैं जाने के लिये स्वतंत्र ह ? ये पछ के आप शांत खंडे रहे. ICE बिना वजह आपको पछताछ के लिय हिरासत मे नहि ले सकते, ICE को आपका नाम या ओर कोई जानकारी देने से पहले उसे पछे के आप जानीकी लिए श्यते हिंदे अगर वो लोग आपको हा कहते है त ताँति आप वह जगह छ ड दीश्वार वो आपको नहि कहते हैं, तो उन्हें कहे के आप उनकी क ई भिस्वाल का जवाब नहि दीना चाहते है ओर आपको विकल से बात करनि है.

खोज को अधिकत ना करे :- अगर ICE आपको या आपकि संपत्ती को जाचने का प्रयास करते है तो, यीजाच की लिए मीर अनिमित्ते नहि है ऐसा कहे.

भागे निह :- आप अगर भागतं हःत यं ICE को काननि तोर पे आपको रोकने कि वजह देता है.

<u>याद रखिये</u>

पूर्व तयारी :- आप खंद्रक और आपके परिवार क यदे आपके हिरासत हु ते हत्त उसके लियं तयार रखं†आपके परिवारजन और विकल के फ न नुबर याद रखे, यदि आपके बच्चे है या आपको कोई दवाई लेनी पहती है तो आपतकालीन समय के लीये योजना बना ले, जरुरी दस्तावेजोकी प्रतिया आपके भरोसेमंद व्यक्तीके पास रखे शांत रहे :- ICE के कोईभी सवालों के जवाब ना दे. या उन्हें कोईभी जानकारी ना दे. आप जो बोलते हो उसे आपके खिलाप इस्तेमाल किया जा सकता है.

हिरासत का विरोध ना करे :- अगर ICE आपको गलत तरीके से हिरासत में ले रहे है तोभी हिरासत का विरोध ना कारे.

झट ना बोले या गलत दस्तावेज ना बताये :- अगर आप US के नागरिक है या आपकि न्यायसंगत स्थिति है तो उसका प्रमाण दे, अगर आपकी पास परदीस मी बसने के दस्तावेज नहि है, त ICE को कहे कि आपक् खाम श रहना है। आपकी श्यदीतकी क् ईभ दिव्लावीन बताना टालीश

कहेकी आपको वकीलसे बात करनी है :- कॉछभे ना कहं • वर्क लसं बिना पाँछ क ईभे निणर्धिन लं†

हस्ताक्षर ना करे, ICE AGENT अगर आपको कोई दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने को कहते है तो आपके विकलकि सलाह लिए बगैर आप कोई भी हस्ताक्षर ना करे.

<u>अगर ICE आपतक पहचे तो</u>

AGENT के कोई भी प्रश्नों के उत्तर ना दे, व आपसं बात करना चाहतं हः फिरभे आपको खामोश रहने का अधिकार है. आपको वकील से बात करने का अधिकार है.

दरवाजा ना खोले - अप्रवासत अधिकारी अगर आपके दरवाजे पे है और AGENT कहता है कि उसके पास वॉरंट है तो आप उसे वह वॉरंट दरवाजे के निचे से सोपने को कहे और उसपे न्यायाधीश के हस्ताक्षर है ये जाचले.

यह पत्नक AGENT को दे, दरवाजा ना खोले यह आपका संविधानिक अधिकार है.